न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

रैयती अपील वाद संख्या—10/2017—18

नवल किशोर सिंह वगैरह बनाम राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

7-5-18

श्री नवल किशोर सिंह, श्री राज किशोर सिंह एवं श्री नंद किशोर सिंह, सभी के पिता स्व0 भानू प्रताप सिंह, ग्राम—कुन्डोली, थाना—फतुहाँ, जिला—पटना के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी के द्वारा बकास्त रैयती भूमि विविध वाद सं0 10/2012—13 में दिनांक 22.01.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर यह अपील दायर की गयी है।

आवेदकगण का कहना है कि निम्नलिखित भूखण्ड जो सर्वे खतियान में बकास्त के रूप में दर्ज है, को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा सरकारी घोषित कर दिया गया है।

आवेदकगण का कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी के द्वारा बिना उनका पक्ष सुने प्रश्नगत भूखण्ड को सरकारी घोषित कर दिया गया।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी के द्वारा बकास्त रैयती भूमि विविध वाद सं0 10/2012—13 में दिनांक 22.01.2016 को पारित आदेश का अवलोकन किया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी के आदेश के साथ ही, अंचलाधिकारी, दनियावां के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी को भेजे गये प्रस्ताव की सत्यापित प्रति दाखिल की गयी है।

अंचल अधिकारी, दनियांवा के प्रस्ताव से यह स्पष्ट होता है कि एक आम सूचना निर्गत की गयी थी। आम सूचना के पश्चात जो लोग उपस्थित नहीं हुए, उनकी भूमि को साक्ष्य के अभाव में सरकारी घोषित करने की अनुशंसा कर दी गयी।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी के स्तर से नोटिस निर्गत किये जाने की बात आदेश में अंकित है, परन्तु सभी जमाबन्दीदारों को विधिवत नोटिस का तामिला कराया गया था, यह स्पष्ट नहीं है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उन्हें कभी कोई नोटिस नहीं दी गयी। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी के विषयांकित आदेश के अवलोकन से भी यह प्रतीत होता है कि इस वाद के आवेदकों को विधिवत नोटिस का तामिला नहीं कराया गया था। अतः नैसर्गिक न्याय के तहत आवश्यक है कि आवेदकगण का पक्ष सुनने के पश्चात ही निर्णय लिया जाय।

अतः वाद को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी को (Remand) प्रतिप्रेषित करते हुए निदेशित है कि आवेदकगण का पक्ष सुनकर विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आवेदकगण को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की सत्यापित प्रति के साथ अपना साक्ष्य एवं पक्ष भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी के न्यायालय में रखें।

आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

7/5/18 — 7/5/18

(वजैन उद्दीन अंसारी) — (वजैन उद्दीन अंसारी)

अपर समाहर्त्ता, पटना — अपर समाहर्त्ता, पटना